

कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी) ।।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 1420/12-1

दिनांक, पुरोला, 3-1 2019।

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्रांक सं०-8बी/यू०सी०पी०/०१/१४६/२०१८/एफ०सी०/१९५० दिनांक १७-१२-२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र सं० से दर्ज आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र० सं०	ई०डी०एस०क्वैरी	प्रतिउत्तर
1	2	3
6	The density given for Govind Pashu Vihar Division is 0.4 appears to be wrong in view of felling involved i.e. 69 trees/ha.	गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना निर्माण में 22.067 हे० भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त भूमि में 69 वृक्षों का पातन किया जाना है, जिनका घनत्व 0.1 होगा।
7	The NPV calculated for dense forest category for area falls in the Govind Pashu Vihar, Division.	गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना निर्माण हेतु 22.067 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसकी देयता एन०पी०वी० की सबसे न्यूनतम दर 6.57 लाख प्रति हे० की दर से मु०-1,44,98,019.00 बनती है।
8	There is no tree enumeration provided for Tons division while the density is shown as 0.4 & the NPV is calculated for dense forest.	टौंस वन प्रभाग, पुरोला से खनन हेतु 2.25 हे० वन भूमि प्रभावित होगी, परन्तु कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण इसका घनत्व शून्य है। जिसकी देयता एन०पी०वी० की सबसे न्यूनतम 6.57 लाख प्र०हे० की दर से मु०-14,78,250.00 होगी।
9	The column after para 13 are not visible in online Part-II.	भाग-2 के पैरा-13 में दर्ज बिन्दुओं को पुनः ठीक कर दिया गया है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिन आपत्तियों का निराकरण किया जाना था उनको आनलाईन कर दिया गया है तथा हार्ड प्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भावदीय,

(आर०पी० मिश्रा)  
उप निदेशक,

गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

भवदीय,

(आर०पी० मिश्रा)  
उप वन संरक्षक,

टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

एसजेवीएनलिमिटेड  
जखोल-सांकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट  
मोरी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) - 249128

फोन: 01373-234401.

Website: www.sjvn.nic.in  
CIN: L40101HP1988GO10084

पत्रांक सं०- एसजेवीएन/परि०प्रमुख/जसांजविपरि/19-10  
संवा. सं.

दिनांक-03/01/2019

प्रशासकीय वन अधिकारी,  
पुरीला, उत्तरकाशी

विषय- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में।(FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार देहरादून के पत्र संख्या 8वी./यू.सी.पी./01/146/2018/एफ.सी./1950 दिनांक 17.12.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, के पत्रांक 1723/FP/UK/HYD/22889/2016 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एवं नोडल अधिकारी के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन का कष्ट करें जिसके माध्यम से जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हस्तांतरित होने वाली 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएँ चाही गयी है जिनका वि-दुवार उत्तर निम्न प्रकार है-

1. The applicant detail of Sh. J. K. Mahajan para no A-3 online part- I has been filled.
2. At para B 2.3 online part-I village wise backup including Notional land i.e 22.067 ha has been revised and RF area 2.24 ha has been also mentioned at para B 2.3 part-I
3. As desired at para B 2.4 co-ordinate has been provided for project component and above has been maintained in the digital map recording to project component duly authenticated by DFO.
4. A single KML file online part-I mentioning all component has been uploaded.
5. Justification for locating the project in forest land has been signed by DFO at para D (i).
6. This point relates to DFO /Dy Director (Wild Life)
7. This point relates to DFO /Dy Director (Wild Life)
8. This point relates to DFO /Dy Director (Wild Life)
9. This point relates to DFO /Dy Director (Wild Life)
10. Initially the implementation agreement has been signed between SJVN and Govt. of Uttarakhand for the capacity of 33 MW. During survey and investigation, the project capacity redesigned and the capacity of project has been enhanced 44 MW. The same has been submitted to state Govt. of Uttarakhand for approval of TEC (44 MW).


Approval /TEC for 44 MW is in advance stage and likely to be issued very shortly by state Govt. of Uttarakhand. accordingly, the revised implantation agreement (from 33MW to 44.MW) shall not be required.

11. An undertaking in this regard has been provided by undersigned as the approval/TEC for 44 MW is in advance stage and likely to be issued very shortly by state Govt. of Uttarakhand. Proposal may please be considered for further action. The same will be submitted after getting from state Govt.
12. The documents like Part-I to V, compensatory a forestation plan, NOC under Forest Right Act from village level committee, Block level committee and district level committee, certificate of utilization for compensatory a forestation, estimate of NPV amount bill for NPV are submitted in original along with proposal. However other documents shall be attested if required.
13. Muck disposal plan has been signed/ verified by DFO is attached.

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त सूचनाओं को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय



(ई० जे० के० महाजन)

अपर महाप्रबन्धक (परि० प्रमुख)

प्रतिलिपि: महाप्रबन्धक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को सादर सूचनार्थ।

(ई० जे० के० महाजन)

अपर महाप्रबन्धक (परि० प्रमुख)